प्राचार्य का कार्यालय
राजकीय पोलिटेकनिक, कटिहार

दिनांक:-........../........../2025

पत्रांक:-................/कटिहार

कार्यालय आदेश

छात्रहित में शैक्षणिक दृष्टिकोण से अखिल भारतीय तकनीकी परिषद, नई दिल्ली के माप दण्डों को पूरा करने के उदेश्य से विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, बिहार सरकार के नियंत्रणाधिन राजकीय पोलिटेकनिक, कटिहार में विभागीय पत्रांक-3409, दिनांक-07/08/2024 एवं कार्यालय पत्रांक-236, दिनांक-01/03/2025 के आलोक में अतिथि व्याख्याता को उनके नाम के सामने अंकित संकाय, पदनाम, कार्य का स्वरूप / कार्य अवधि के रूप में कार्य करने की कार्यानुमति निम्नांकित शर्तों पर की जाती है।

1. यह कार्यानुमति बिल्कुल वैकल्पिक व्यवस्था है, जो बिना पूर्व सूचना के समाप्त की जा सकती है।
2. विभागीय स्थायी नव नियुक्ति, संविदा एवं पदस्थापन होने पर यह कार्यादेश स्वतः निरस्त हो जाएगी ।
3. इस कार्यानुमति के आधार पर सेवा स्थायीकरण / नियमितिकरण आदि का दावा नहीं किया जा सकता है।

विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, बिहार सरकार के संकल्प संख्या 3016 दिनांक-02.12.2021 के आलोक में प्रत्येक

4. विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, बिहार सरकार के संकल्प संख्या 3016 दिनांक-02.12.2021 के आलोक में प्रत्येक वर्ग कार्य हेतु अतिथि व्याख्याताओं के लिए रू0 1400/-(चौदह सौ रूपये) मात्र प्रति व्याख्यान की दर से मानदेय देय होगा परन्तु किसी भी महीने में अधिकतम राशि रू0 45.000/- (पैतालिस हजार) मात्र से ज्यादा नहीं होगी तथा ये आदेश अंशकालीक (वर्ग कार्य आधारित) होने के कारण मानदेय के अलावा किसी प्रकार का अन्य भुगतान / कटौती (आयकर को छोड़कर) नहीं की जायेगी ।
5. वर्ग अध्यापन के अलावा प्राचार्य द्वारा प्रदत्त अन्य संस्थानिक कार्यों का भी संपादन संतोषप्रद रूप से करना आपेक्षित है। इन कार्यों का मानदेय विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग, बिहार सरकार के पत्रांक- 1440 दिनांक 20.06.2017 में वर्णित मापदण्ड के अनुसार गणना कर निर्धारित की जाएगी परन्तु मानदेय की राशि अधिकतम मानदेय की राशि से ज्यादा नहीं होगी।
6. अतिथि व्याख्याताओं को प्रत्येक संकाय / विषय में आवश्यकतानुसार आवंटित विषय के लिए वर्ग रूटीन के अनुसार वर्ग अध्यापन का कार्य कराना होगा।
7. किसी एक विषय के पाठ्यक्रम में एक सेमेस्टर के लिए निर्धारित घंटी से अधिक का मानदेय देय नहीं होगा।
8. यह कार्यानुमति दिनांक-31/05/2026 तक के लिए निर्गत की जायेगी, कार्य संतोषप्रद तथा छात्रों के Feedback के आधार पर अगले सत्र के लिए कार्यानुमति दी जा सकती है तथा आवश्यकता नहीं होने पर रद्द की जा सकती है ।
9. अस्वस्थता या अनुशासनिक आधार पर या असंतोषप्रद सेवा के कारण किसी भी समय बिना पूर्व सूचना के कार्यानुमति आदेश रद्द की जा सकती है।

1. कंप्युटर साईस अभियंत्रण

क्रम संख्या	नाम	संकाय	पदनाम	कार्य का स्वरूप	कार्य अवधि	अमियुक्ति
1.	**अमीत कुमार रंजन**	कंप्युटर साईस अभियंत्रण	अतिथि व्याख्याता	अंशकालिक	01/07/2025 से 31/05/2026 तक	

2.असैनिक अभियंत्रण

क्रम संख्या	नाम	संकाय	पदनाम	कार्य का स्वरूप	कार्य अवधि	अभियुक्ति
1.	दीक्षा रानी	असैनिक अभियंत्रण	अतिथि व्याख्याता	अंशकालिक	01/07/2025 से 31/05/2026 तक	
2.	विनीत कुमार	असैनिक अभियंत्रण	अतिथि व्याख्याता	अंशकालिक	01/07/2025 से 31/05/2026 तक	
3.	अनुज कुमार	असैनिक अभियंत्रण	अतिथि व्याख्याता	अंशकालिक	01/07/2025 से 31/05/2026 तक	
4.	नवीन कुमार	असैनिक अभियंत्रण	अतिथि व्याख्याता	अंशकालिक	01/07/2025 से 31/05/2026 तक	

यह आदेश दिनांक-01/07/2025 से प्रभावी होगा ।

ह०-

प्राचार्य
राजकीय पोलिटेकनिक, कटिहार।

ज्ञापांकः 623 /कटिहार, दिनांक:-30/05/2025

प्रतिलिपि –
1. उपरोक्त सभी अतिथि व्याख्याता को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।
2. निदेशक, विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, बिहार, पटना को सादर सूचनार्थ समर्पित
3. सभी विभागाध्यक्ष, राजकीय पोलिटेकनिक, कटिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।
4. रुटीन प्रभारी, राजकीय पोलिटेकनिक, कटिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।
5. स्थापना, राजकीय पोलिटेकनिक, कटिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक एवं कार्यार्थ प्रेषित।

30-05-25

प्राचार्य
राजकीय पोलिटेकनिक, कटिहार।

30/5/25